न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 369–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2002 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 156/1993–94 निगरानी

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र कुंअरपाल शर्मा
ग्राम मानपुर तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती रामकन्या पुत्री बजरंगीलाल
पत्नि मंगलसिंह काछी ग्राम मानपुर
हाल दुसायत मोहल्ला विद्यापीठ चौराहा,
वृन्दावन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

2– सत्यनारायण सिंह 3– कैलाश चन्द्र
पुत्रगण मंगलसिंह काछी, निवासी विद्यापीठ
चौराहा, वृन्दावन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री कुँअरसिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 9–3 –2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 156/1993–94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–12–2002 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम मानपुर स्थित कुल किता 26 रकबा 31 वीघा 7 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया है) अनावेदकगण के स्वामित्व की थी। आवेदक ने नायव तहसीलदार श्योपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 कीधारा 190 सहपठित 110 के अंतर्गत आवेदन देकर मौरूषी कास्तकार होने के

आधार पर भूमिस्वामी घोषित किये जाने की मांग की। नायव तहसीलदार ने प्रकरण नंबर 28 अ-46/ 1985-86 दर्ज किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12-8-1986 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक को मौरूषी कृषक के आधार पर भूमिस्वामी दर्ज करने के आदेश दिये गये।

नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 12-8-1986 के विरूद्ध अनावेदकगण व्दारा वर्ष 1991 में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो कलेक्टर मुरैना के पत्र कमांक क्यू/शिका/91/ दिनांक 9-5-1991 से अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ को जॉच हेतु भेजा गया। अपर कलेक्टर श्योपुर ने शिकायती आवेदन पर से नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 12-8-1986 के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 5/1991-92 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 11-7-1994 पारित करके नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 12-8-1986 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 156/1993-94 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30-12-2002 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि जहां अपील का प्रावधान है वहॉ स्वमेव निगरानी ग्राह्य नहीं है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि त्रृटिपूर्ण आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय को स्वमेव निगरानी की शक्तियॉ प्राप्त हैं

इस सम्बन्ध में विचार करने पर स्थिति यह है कि भू राजस्व संहिता, 1959 - धारा 50 (1) इस प्रकार है -

पुनरीक्षण -(1) मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार व्दारा दिये गये आवेदन पर या कलेक्टर या बंदोवस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी ऐसे मामले का जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व

अधिकारी व्दारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो, और जिसमें कोई अपील न होती हो, और यदि वह प्रतीत होता हो --- तो मण्डल या कलेक्टर या बंदोवस्त अधिकारी मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 28 अ-46/ 1985-86 में पारित आदेश दिनांक 12-8-1986 के विरूद्व अपील का प्रावधान है किन्तु अनावेदकगण व्दारा अपील न करते हुये मान. विधान सभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत जॉच हेतु प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने स्वस्तर से स्वमेव निगरानी दर्ज कर कार्यवाही करने में त्रृटि की है क्योंकि अपील योग्य आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। (धोकल विरूद्व म.प्र.राज्य 1984 रा.नि. 408 एंव दिलीप सिंह विरूद्व राधेश्याम रा.नि. 326 से अनुसरित)

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि अनावेदकगण के शिकायती आवेदन पर कलेक्टर मुरैना ने केवल जॉच प्रतिवेदन मॅगाया था, किन्तु अपर कलेक्टर श्योपुर ने स्वस्तर से स्वमेव निगरानी दर्ज कर सुनवाई करने की त्रृटि की है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि शिकायती आवेदन में स्वमेव निगरानी की मांग थी जिसके कारण अपर कलेक्टर की कार्यवाही नियमानुसार है।

दोनों अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि कलेक्टर मुरैना ने अनावेदकगण का शिकायत आवेदन पत्र जॉच प्रतिवेदन हेतु अपर कलेक्टर श्योपुर को भेजा था एंव अपर कलेक्टर का दायित्व था कि शिकायती आवेदन के तथ्यों की जॉच करके कलेक्टर मुरैना को वस्तुस्थिति से अवगत कराते एंव कलेक्टर के अथवा वरिष्ठ के निर्देश प्राप्त होने पर ही उन्हें आगामी कार्यवाही करना थी। अतएव अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 28 अ-46/ 1985-86 में पारित आदेश दिनांक 12-8-1986 के विरूद्व दिनांक 28-10-1991 को अर्थात 5 वर्ष 2 माह के अंतर से स्वमेव निगरानी दर्ज करने में भूल की है :-

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 50 - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अधिकारिता विलम्बकारी होने पर प्रयुक्त नहीं की जाती है और किसी पक्ष के अनुग्रह पर भी प्रयुक्त नहीं की जा सकती। (विष्णु बहादुर सिंह विरूद्ध विजय बहादुर 1989 रा0नि0 200 से अनुसरित)**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 50 - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण युक्तियुक्त समय के भीतर करना चाहिये इस हेतु एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त माना गया है।**

परन्तु निगरानी में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 12-8-1986 के विरूद्ध अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने दिनांक 28-10-1991 को ——— 5 वर्ष 2 माह के अंतर से अर्थात अतिविलम्ब से स्वमेव निगरानी दर्ज करने की भूल की है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 11-7-1994 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 156/93-94 निगरानी में आदेश दिनांक 30-12-02 पारित करते समय उक्त तथ्यों पर ध्यान न देने की त्रृटि करने से उनके व्दारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 156/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-12-2002 एंव अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 5/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 11-7-1994 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं परिणामतः नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण नंबर 28 अ-46/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 12-8-1986 यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर